रजिस्ट्री सं० डी- 222

REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 6, 1971 (कार्तिक 15 1893)

No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 6, 1971 (KARTIKA 15 1893)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस

(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 8 फरवरी 1971 तक प्रकाशित किये गये हैं :

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to 8th February 1971 :—

अंक (Issue No.)	संख्या और तिथि (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)
1	2	3	4

शून्य

—NIL—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं ।

Copies of the *Gazette Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines Delhi. Indents should be submitted so as to reach the manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . .	895
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1579
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1267
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . .	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . .	—
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . . .	4297
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं .	5499
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	926
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1445
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें	403
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं .	175
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं . . .	2333
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें .	209
पूरक संख्या 44—	
23 अक्तूबर 1971 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बंधी साप्ताहिक रिपोर्ट	1861
16 अक्तूबर 1971 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े .	1871

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	895
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1579
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notification regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1267
PART II—SECTION 1.—Arts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories	4297
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	5499
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	925
PART III—SECTION 1.—Notification issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	1445
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	403
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	175
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2303
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	209
SUPPLEMENT NO. 44	
Weekly Epidemiological Reports for weeks ending 23rd October 1971	1861
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 16th October 1971	1871

भाग I—खण्ड 1

(PART I—SECTION 1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 अक्तूबर 1971

सं० 69 प्रेज/71:—राष्ट्रपति निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री बलवन्त सिंह,

उप-निरीक्षक सं० 2241/पी० ए० पी०,

XXXI (हिमाचल प्रदेश—पंजाब),

एस० एस० बी० बटालियन,

सुरक्षा महानिदेशालय,

मंत्रिमंडल सचिवालय । (स्वर्गीय)

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

26 जून 1970 को पुलिस उप-निरीक्षक श्री बलवन्त सिंह जब हिमाचल प्रदेश की पांगी घाटी में गांव किल्लर में ड्यूटी पर थे तो उन्हें बाढ़ग्रस्त नदी के पार फंसे हुए कुछ वन अधिकारियों और ग्रामवासियों की सहायता के लिए पुकार सुनाई दी। दो ग्रामवासियों को साथ लेकर श्री बलवन्त सिंह तुरन्त उस स्थान की ओर दौड़े। वहां पहुंच कर उन्होंने देखा कि नदी में बाढ़ आई हुई है और उसे पार करने के लिए कोई पुल नहीं है। उन्होंने तुरन्त अपनी वर्दी उतारी और कुछ तख्ते लाकर नदी को पाट दिया और फंसे हुए व्यक्तियों को एक एक करके सुरक्षित स्थान तक ले गाए। किन्तु अन्त में जब वे स्वयं नदी को पार करने लगे तो तेज बहाव वाली नदी में गिर पड़े और बह गये। स्वयं अपने प्राण देकर वन अधिकारियों और ग्रामवासियों को बचाने में श्री बलवन्त सिंह ने उच्च कोटि की कर्तव्य-परायणता एवं साहस का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 26 जून, 1970 से दिया जाएगा।

पे० ना० कृष्णामणि, राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव।

मन्त्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 6 नवम्बर 1971

सं० 9/10/71-सी० एस० (II)—(मन्त्रिमण्डल सचिवालय में कार्मिक विभाग के सचिवालय प्रशिक्षण शाला) द्वारा 1972 में निम्नलिखित सेवाओं/पदों में अस्थायी रिक्तियों में नियुक्ति के लिए ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम सर्व साधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं :—

(1) भारतीय विदेश सेवा (ख)—ग्रेड IV

(2) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा—ग्रेड 2

(3) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा—अवर श्रेणी केन्द्र

(4) सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा—अवर श्रेणी ग्रेड

(5) संसदीय कार्य विभाग, नई दिल्ली में अवर श्रेणी लिपिक के पद

(6) विशेष महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, दिल्ली के कार्यालय में अवर श्रेणी लिपिक के पद

(7) उपर्युक्त सेवाओं के अन्तर्गत न आने वाले भारत सरकार के अन्य विभागों तथा सम्बद्ध कार्यालयों में निम्न श्रेणी लिपिक के पद।

कोई उम्मीदवार उपर्युक्त सेवाओं/पदों में से किसी भी एक या एक से अधिक सेवाओं/पदों के लिए आवेदन कर सकता है। यदि वह चाहे तो उसे केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की आरक्षित सूची में शामिल करने के लिए भी विचार किया जा सकता है। वह जितनी भी सेवाओं/पदों के लिए विचार करवाना चाहे उन सब का उल्लेख आवेदन पत्र में करें।

नोट : उम्मीदवारों को चाहिए कि वे जिन सेवाओं/पदों के लिए विचार करवाना चाहते हैं, उनकी प्राथमिकता क्रम स्पष्टतः लिखें। उम्मीदवार द्वारा प्रारम्भ में अपने आवेदन पत्र में निर्दिष्ट सेवाओं/पदों के प्राथमिकता क्रम में अपने आवेदन पत्र में परिवर्तन करने की किसी भी ऐसी प्रार्थना पर, जो सचिवालय प्रशिक्षण शाला के कार्यालय में 15 दिसम्बर, 1972 को या इससे पहले न मिल जाए, विचार नहीं किया जाएगा।

परीक्षा के परिणाम पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या प्रशिक्षण शाला द्वारा जारी की गई सूचना में निर्दिष्ट की जाएगी। भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों में भूतपूर्व सैनिक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण किया जाएगा।

भूतपूर्व सैनिक का अर्थ उस व्यक्ति से है जो संघ की शस्त्र सेना में किसी भी पद पर (चाहे लड़ाकू के रूप में रहा हो अथवा नहीं) निरन्तर 6 मास की अवधि तक रहा हो और दुराचार या अक्षमता के कारण पदच्युत सेवा मुक्त किए जाने को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से नौकरी से मुक्त कर दिया गया है।

स्पष्टीकरण—इन नियमों के लिए "संघ की सशस्त्र सेना" में भूतपूर्व भारतीय रियासतों की शस्त्र सेनाएं शामिल होंगी परन्तु निम्न सेनाओं के सदस्य शामिल नहीं हैं :—अर्थात्

(क) आसाम राईफ़ल्स;

(ख) लोक सहायक सेना; तथा

(ग) जनरल रिजर्व इंजनियर फ़ोर्स।

अनुसूचित जाति/आदिम जाति का अर्थ उस किसी भी जाति/आदिम जाति से है जिसका अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश संशोधन सूचियां अधिनियम, 1956 बम्बई पुर्नगठन अधिनियम, 1960 तथा पंजाब पुर्नगठन अधिनियम, 1966 के साथ पठित अनुसूचित जाति/आदिम जाति (तरमीम) आदेश, 1956, संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956 संविधान (अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोवा, दमन व दीव) आदिम जाति आदेश, 1968 तथा संविधान (नागालैंड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970 में उल्लेख है।

3. सचिवालय प्रशिक्षण शाला द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों के परिशिष्ट 1 में विहित विधि से किया जाएगा।

परीक्षा की तारीखें और स्थान प्रशिक्षण शाला द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

4. यह आवश्यक है कि उम्मीदवार या तो

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) सिक्किम की प्रजा, या

(ग) नेपाल की प्रजा, या

(घ) भूटान की प्रजा, या

(ङ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से 2 जनवरी 1962 से पहले भारत में आ गया हो, या

(च) ऐसा मूल भारती व्यक्ति हो, जो भारत में स्थाई रूप से बसने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका, तथा पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, उगाण्डा तथा संयुक्त गणराज्य तंजनिया (भूतपूर्व टांगानिका व जंजीबार) से प्रव्रजित हुआ हो।

परन्तु ऊपर की श्रेणी (ग), (घ), (ङ) और (च) से सम्बन्धित उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा उनके नाम दिया गया पात्रता प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

परन्तु निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के मामलों में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं होगा :—

(1) वे व्यक्ति जो 19 जुलाई, 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजित हुए और तभी से आम तौर पर भारत में ही रह रहे हैं।

(2) वे व्यक्ति जो 19 जुलाई, 1948 को या इसके बाद पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजित हुए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 6 के अधीन अपने को भारत के नागरिक पंजीकृत करा चुके हैं।

(3) ऊपर की श्रेणी (घ) के वे गैर-नागरिक जो संविधान लागू होने की तारीख अर्थात् 26 जनवरी, 1950 से पहले भारत सरकार की सेवा में आ गए और तभी से लगातार उस सेवा में हैं। परन्तु जो व्यक्ति सेवा भंग करके 26 जनवरी 1950 के बाद उसी सेवा में फिर आया हो अथवा फिर आए उसे औरों की भांति पात्रता प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक होगा।

इसके अतिरिक्त एक शर्त यह भी है कि उपर्युक्त श्रेणी (ग) (घ) तथा (ङ) के उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा (ख) ग्रेड-6 में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक है यदि सरकार आवश्यक प्रमाण पत्र दे दे तो उसे परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है तथा अन्तिम रूप से उसकी नियुक्ति भी की जा सकती है।

5. जो उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित न हो, या संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी का निवासी न हो या संघ राज्य क्षेत्र गोवा/दमन तथा दीव का निवासी न हो, या केन्या/उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजनीया (भूतपूर्व तंगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन करके न आया हो वह प्रतियोगिता में दो से अधिक बार नहीं बैठ सकता, किन्तु यह प्रतिबन्ध सन् 1961 में हुई परीक्षा से लागू होगा।

टिप्पणी : यदि परीक्षा के परिणाम के प्रकाशित होने से पहले अथवा बाद में किसी भी समय यह पाया गया कि उम्मीदवार परीक्षा में दो बार पहले ही बैठ चुका था और इस परीक्षा में बैठने का पात्र नही था तो उसका परिणाम यथास्थिति रोक लिया जाएगा अथवा रद्द कर दिया जायेगा और नियम 15 के अनुसार आगे कारवाई की जाएगी।

टिप्पणी 2 यदि कोई उम्मीदवार एक या अधिक सेवाओं/पदों के लिए प्रतियोगिता करे तो इस नियम के प्रयोजन के लिए उस उम्मीदवार को परीक्षा के अन्तर्गत आने वाली सभी सेवाओं/पदों के लिए एक बार प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा माना जाएगा।

टिप्पणी 3 किसी उम्मीदवार को प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा हुआ तब माना जायेगा जब वह वास्तव में किसी एक या अधिक विषयों की परीक्षा में बैठा हो।

6 (क) इस परीक्षा में बैठने के लिये यह जरूरी है कि उम्मीदवार की आयु पूरे 18 वर्ष की हो गई हो और 1 जनवरी 1972 को पूरे 21 साल की न हुई हो, अर्थात उस का जन्म 2 फरवरी, 1951 से पहले और 1 जनवरी, 1954 के बाद न हुआ हो।

(ख) उन भूतपूर्व सैनिकों के मामले में जिन्होंने संघ की सशस्त्र सेना में कम से कम छः महीने का निरन्तर सेवा की हो, उनकी सशस्त्र सेना में कुल सेवा में तीन वर्ष की वृद्धि तक उपरी आय सीमा में छूट दी जायगी ।

परन्तु इस आयु छूट के अधीन परीक्षा म प्रवेश पाने वाले उम्मीदवार केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित रिक्तियों के लिये ही प्रतियोगी होने के हकदार होंगे ।

नोट:—उपरोक्त नियम 6 (ख) के प्रयोजन के लिये किसी भूतपूर्व कर्मचारी की सशस्त्र सेना में आवान पर सेवा की अवधि भी सशस्त्र सेना में की गई सेवा के रूप में समझी जायगी ।

(ग) उक्त ऊपरी आयु सीमा में नम्नलिखित और अधिक छूट दी जायगी :—

(1) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(2) यदि उम्मीदवार पूर्वी पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 या उसके बाद प्रव्रजन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(3) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा पूर्वी पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 या उसके बाद प्रव्रजन कर भारत आया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(4) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र पांडुचेरी का निवासी हो और किसी स्तर पर उसकी शिक्षा, फ्रेंच भाषा के माध्यम से हुई हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(5) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्टूबर, 1964 के भारत-संका समझोते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिकतम् 3 वर्ष तक,

(6) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबधित हो तथा श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्टूबर, 1964 के भारत-संका समझोते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके पश्चात श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिकतम् 8 वर्ष तक,

(7) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन और दीव का निवासी हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(8) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और केन्या, उगांडा, और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व तांगनिका और जंजीबार) से प्रव्रजित हो तो अधिकतम 3 वर्ष तक,

(9) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके पश्चात भारत से प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(10) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यवर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून 1963 को या उसके पश्चात् भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिकतम 8 वर्ष तक,

(11) किसी दूसरे देश से झगड़ों के दौरान अथवा उपद्रव ग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियां करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा-सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक,

(12) किसी दूसरे देश से झगड़ों के दौरान अथवा उपद्रव ग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियां करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त ऐसे रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में जो अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों से संबंधित हो, अधिकतम 8 वर्ष तक ।

(घ) उक्त ऊपरी आये सीमा में उन व्यक्तियों के मामले में 35 वर्ष आयु तक की छूट दी जायगी जो भारत सरकार के विभिन्न विभागों तथा निर्वाचन आयोग के कार्यालय में लिपिकों के पदों पर नियमित रूप से नियुक्त हैं और 1 जनवरी 1972 को जिन्होंने लिपिकों के रूप में कम से कम 3 वर्ष की निरन्तर सेवा की है और उसी रूप में कार्य करते जा रहे हैं,

परन्तु यह भी शर्त है कि उक्त आयु की छूट उन व्यक्तियों को नहीं दी जायगी जो मंत्रालयों/विभागों और सम्बद्ध कार्यालयों में (1) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (2) भारतीय विदेश सेवा (ख), (3) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा, और (4) सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेना में लिपिकों के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा उन व्यक्तियों को जो भूतपूर्व सैनिक हैं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिये परीक्षा में भू-प्रतियोगिता कर रहे हैं ।

(ङ) उक्त ऊपरी आयु सीमा में उन व्यक्तियों के मामले में 35 वर्ष की आयु तक की छूट दी जायगी जो भारत सरकार के विभिन्न

मंत्रालयों/विभागों और सम्बद्ध कार्यालयों में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में हिन्दी लिपिक/हिन्दी टंकक के पदों पर नियुक्त है और 1 जनवरी 1972 को जिन्होंने हिन्दी लिपिकों/हिन्दी टंककों के रूप में कम से कम 3 वर्ष की निरन्तर सेवा की है और उसी रूप में कार्य करते जा रहे हैं।

परन्तु शर्त यह है कि उक्त आयु की छूट के अन्तर्गत परीक्षा में प्रविष्ट हिन्दी लिपिक/हिन्दी टंकक केवल केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता के पात्र होंगे।

(च) ऊपरी आयु सीमा में उन सैनिकों लिपिकों के मामले में 45 वर्ष की आयु तक की छूट दी जायगी जिन्होंने गतवर्ष में सशस्त्र सेना में अपनी हाजिर सेवा की है।

परन्तु शर्त है कि उक्त आयु की छूट के अन्तर्गत परीक्षा में, प्रविष्ट उम्मीदवार केवल सशस्त्र सेना मुख्यालयों तथा अन्तरसेवा संगठनों में रिक्त स्थानों के लिए ही, जो भूत पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित नहीं हैं, प्रतियोगिता के पात्र होंगे।

टिप्पणी (1) डाक व तार विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त रेल-डाक छंटाईकारों की सेवा उपर्युक्त नियम 6(घ) के प्रयोजन के लिए लिपिक के ग्रेड में की गई सेवा मानी जायगी।

टिप्पणी (2) यदि किसी उम्मीदवार को उपर्युक्त नियम 6(च) और नियम 6(ङ) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अन्तर्गत परीक्षा में बैठने दिया गया हो और यदि आवेदन पत्र देने के बाद परीक्षा में बैठने से पहले या बाद में, नौकरी त्यागपत्र देना या उसके विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाय तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है लेकिन यदि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के बाद सेवा या पद से उसकी छंटनी हो जाय तो वह पात्र बना रहेगा

टिप्पणी (3) किसी लिपिक की जो सक्षाम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निःसंवर्ग पद (एक्स-केडर पोस्ट) पर प्रतिनियुक्ति हो, अन्य सब प्रकार से पात्र होने पर परीक्षा में बैठने दिया जायगा।

ऊपर बताई गई स्थितियों के अलावा ऊपर विहित आयु सीमाओं में किसी हालत में छूट नहीं दी जा सकेगी।

7. यह आवश्यक है कि उम्मीदवारों ने नीचे लिखी परीक्षाओं में से कोई एक पास की हो या उनके पास निम्नलिखित में से एक प्रमाण पत्र हों :—

(i) भारत के केन्द्रीय अथवा राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा निर्यामित किसी विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा;

(ii) किसी राज्य के शिक्षा बोर्ड द्वारा माध्यमिक स्कूल कोर्स के अन्त में शालान्त (स्कूल लीविंग) माध्यमिक स्कूल, हाई स्कूल या ऐसे किसी और प्रमाणपत्र के दिये जाने के लिये,

(iii) जिसे वह राज्य सरकार नौकरी में प्रवेश के लिये मैट्रिक के प्रमाण पत्र के समकक्ष मानती हो, ली गई कोई परीक्षा,

(3) केमिब्रज स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा (सीनियर कैम्ब्रिज),

(4) राज्य सरकारों द्वारा ली गई यूरोपीय हाई स्कूल परीक्षा,

(5) दिल्ली पौलीटैक्नीक के तकनीकी हायर सकेंडरी स्कूल की दसवीं कक्षा का प्रमाणपत्र,

(6) भारत में किसी मान्यता प्राप्त हायर सेंकडरी स्कूल/मल्टीपरपज स्कूल द्वारा हायर सेकण्डरी पाठ्यक्रम / मल्टीपरपज पाठ्यक्रम (जो किसी छात्र को डिग्री के कोर्स के लिए पात्र बनाता है (के उपान्तिम वर्ष में ली गई परीक्षा) में उत्तीर्ण,

(7) किसी मान्यता प्राप्त हायर सेकेंडरी स्कूल या इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के लिये छात्रों को तैयार कराने वाली किसी मान्यता प्राप्त स्कूल की दसवीं कक्षा का प्रमाणपत्र,

(8) अरविंद अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पांडिचेरी के उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम की दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र,

(9) जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली की जूनियर परीक्षा केवल जामिया के वास्तविक आवासी छात्रों के लिये,

(10) बंगाल (सांइंस) स्कूल सार्टिफिकेट,

(11) नेशनल काउनिसल आफ एंजूकेशन (राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्) जादवपुर, पश्चिमी बंगाल की (शुरू से लेकर फाइनल स्कूल स्टैनर्डड परीक्षा)

(12) गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद की विनित परीक्षा,

(13) पांडिचेरी की नीचे लिखी फ्रैंच परीक्षाएं:—

(1) ब्रीवे एलिमेनटेएर,

(2) ब्रीवे दैसंसीमा प्रीमियेर द लांग इंदियेन

(3) ब्रीवे दे एतयूद टूयू प्रीमिये सिकल

(4) ब्रीवे द एंसीमा प्रीमियेर सुपीरियेर दे लांग इठदियेन और

(5) ब्रीवे दे लांग इंदियेन (वनाक्यूलर),

(14) गोवा, दमन और दीव की पुतर्गाली परीक्षा लाइसिमूम के पांचवे वर्ष में पास,

(15) इंडियन आर्मी स्पैशल सार्टिफिकेट आफ एजूकेशन,

(16) भारतीय नौसेना का हायर एजूकेशन टैस्ट,

(17) एडवांस क्लास (भारतीय नौसेना) परीक्षा,

(18) सीलोन सीनियर स्कूल सार्टिफिकेट परीक्षा,

(19) ईस्ट बंगाल सैकेंडरी एजूकेशन बोर्ड, ढाका द्वारा किया गया प्रमाण पत्र,

(20) पूर्वी पाकिस्तान, स्थित कौनीला/राजाशाही खुलना के बोर्ड आफ सैकेंडरी एंजूकेशन द्वारा दिए गए सैकेंडरी स्कूल के प्रमाण पत्र,

(21) नेपाल सरकार की स्कूल लीविंग सार्टिफिकेट परीक्षा,

(22) एंग्लोवर्नक्युलर स्कूल लीविंग सार्टिफिकेट (वर्मा)

(23) वर्मा हाई स्कूलफाईनल एग्जामिनेशन सार्टिफिकेट

(24) वर्मा हाई स्कूल फाइनल एंग्लोवर्नक्युलर हाई स्कूल परीक्षा (युद्ध पूर्व)

(25) वर्मा का पोस्ट-वार स्कूल लीवंग सार्टिफिकेट

(26) सामान्य स्तर पर श्री लंका की सार्टिफिकेट आफ एजूकेशन नामक परीक्षा यदि वह अंग्रेजी तथा गणित और सिंहली या तमिल सहित छः विषयों में पास की गई हो,

(27) सामान्य स्तर पर लंदन के ऐसोसिएटड एग्जामिनेशन बोर्डस का जनरल सार्टिफिकेट आफ एजूकेशन परीक्षा, यदि वह अंग्रेजी सहित पांच विषयों में पास की गई हो,

(28) किसी राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई जूनियर बोर्डस सैकेंडरी तकनीकी स्कूल परीक्षा।

(29) वाराणसय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की पूर्व मध्यमा (अंग्रेजी सहित) या पुरानी खंड मध्यमा (प्रथम दो वर्ष का पाठ्यक्रम) तथा उस विद्यालय के विषयों में से एक विषय अंग्रेजी सहित अतिरिक्त विषयों में विशिष्ठ परीक्षा

(30) गोवा, दमन तथा दीव की स्वतंत्रता से पूर्व पुर्तगाली स्थापना के अन्तर्गत इस्कोला इन्डस्ट्रीयल, कोमशियर्ल दी गोवा, पाणजी द्वारा दिया गया। कार्ता दी, फोर्मिक दी सैरलहेरो (सिमिथी पाठ्यक्रम का प्रमाणपत्र) तथा कार्ता दी कुर्सी दी मोन्तादर इलैक्ट्रीसिस्टा (इलैक्ट्रीसियन) पाठ्-क्रम का प्रमाण-पत्र

टिप्पणी-1 : यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा, जिसमें उत्तीर्ण होने पर वह इस परीक्षा में बैठ सकता है, दे चुका हो, लेकिन उसके परिणाम की सूचना उसे नहीं मिली हो ऐसी स्थिति में वह इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन पत्र भेज सकता है। जो उम्मीदवार उक्त किसी अर्हक (क्वालिफ़ाइंग) परीक्षा में बैठने चाहते हों, वे भी आवेदन पत्र दे सकते हैं बर्शते कि वह अर्हक परीक्षा इस परीक्षा के शुरू होने से पहले समाप्त हो जाय।

ऐसे उम्मीदवारों को यदि वे अन्य शर्तें पूरी करते हों, परीक्षा में बैठने दिया जायेगा, किन्तु परीक्षा में बैठने की अनुमति अन्तिम होगी और यदि वे उक्त परीक्षा पास करने का प्रमाण जल्दी से जल्दी और हर हालत में इस परीक्षा के शुरू होने की तारीख से अधिक से अधिक दो महीने के अन्दर-अन्दर प्रस्तुत नहीं करते तो यह अनुमति रद्द कर दी जा सकेगी।

टिप्पणी-2 : कुछ विशिष्ट मामलों में, किसी ऐसे उम्मीदवार को, जिसके पास उक्त नियमों के अनुसार कोई उपाधि नहीं है, केन्द्रीय सरकार अर्हता —प्राप्त उम्मीदवार मान सकता है, बर्शते कि वह उस स्तर तक/ अर्हता प्राप्त है, जो उस सरकार की राय में परीक्षा में प्रवेश करने के लिए यथोचित है।

8. (1) जिस व्यक्ति ने

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह-अनुबंध किया है जिसका पति/पत्नी पहले से है, या

(ख) जिसने जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है तो,

सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं माना जाएगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट न हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह संबन्धी अन्य पक्ष के पृवत्त व्यक्तिक कानून के अनुसार ऐसा विवाह स्वीकृत है तथा ऐसा करने के अन्य कारण हैं और उसको इस नियम से छूट न दे दे।

(2) जिस व्यक्ति ने विदेशी राष्ट्रिक से विवाह किया है भारतीय विदेश सेवा (ख) ग्रेड (6) की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

(3) जिस व्यक्ति के तीन से अधिक बच्चे हैं वह भारतीय विदेश सेवा (ख) ग्रेड-6 की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

9. जो उम्मीदवार स्थायी या अस्थायी हैसियत से पहले से सरकारी सेवा कर रहा हो उसे इस परीक्षा में बैठने से पहले अपने विभाग अध्यक्ष की अनुमति अवश्य ले लेनी चाहिए।

10. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो संबंधित सेवा/पद के अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों को कुशलता पूर्वक निभाने में बाधक हो। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सका है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जाएगी जिन पर नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार किए जाने की सम्भावना हो।

टिप्पणी : अशक्त भूतपूर्व रक्षा-कार्मिकों के मामले में रक्षा सेवा के सैम विघटन डाक्टरी बोर्ड (डीमोबीलाइ-जेशन मैडीकल बोर्ड) द्वारा किया गया स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र नियुक्ति के प्रयोजन के लिए प्रयाप्त समझा जाएगा।

11. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में सचिवालय प्रशिक्षण शाला का निर्णय अन्तिम होगा,

12. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जायेगा तब तक उसके पास सचिवालय प्रशिक्षण शाला को प्रवेश पत्र (सार्टिफिकेट आफ एडमीशन) न हो।

13. उम्मीदवारों को सचिवालय प्रशिक्षण शाला के नोटिस के पैरा 7 में विहित फीस देनी होगी।

14. यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो वह परीक्षा में बैठने के लिए आयोग्य घोषित किया जा सकता है।

15. यदि कोई उम्मीदवार सचिवालय प्रशिक्षण शाला द्वारा इस बात के लिए दोषी घोषित किया जाये या किया गया हो कि उसने दूसरे व्यक्ति से अपनी परीक्षा दिलवाई है या जाली प्रलेख अथवा ऐसे प्रलेख प्रस्तुत किये हैं जिन में हेरा-फेरी की गई है या गलत या झूठे व्यक्तव्य दिए हैं या कोई महत्वपूर्ण बात छिपाई है या परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी और अनियमित या अनुसउपायुक्त तरीके से काम लिया है अथवा परीक्षा भवन में अनुचित तरीकों का प्रयोग किया है या प्रयोग करने की कोशिश की है या परीक्षा भवन में कोई दुव्यवहार किया है, तो अपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोजीक्यूशन) चलाये जाने के अतिरिक्त उसे :

(क) स्थायी रूप से अथवा किसी निश्चित अवधि के लिये

(1) सचिवालय प्रशिक्षण शाला, उम्मीदवारों से चुनाव के लिये अपने द्वारा ली जाने वाली, किसी भी परीक्षा या इन्टरव्यू में शामिल होने से रोक सकती है, और

(2) केन्द्रीय सरकार, अपने अधीन नियुक्त किए जाने से वर्जित कर सकती है।

(ख) यदि वह पहले से ही सरकारी सेवा में हुआ तो उस के खिलाफ़ उपयुक्त नियमों के अर्न्तगत अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

16. परीक्षा के पश्चात अन्तिम रूप से प्रत्येक उम्मीदवार को दिये गए कुल अंकों के आधार पर सचिवालय प्रशिक्षण शाला उम्मीदवार की गुणानुक्रम में सूची बनायेगी, और उसी क्रम से परीक्षा परिणामों के आधार पर भरे जाने के लिए निश्चित अनारक्षित रिक्त स्थानों की संख्या के अनुसार जितने उम्मीदवारों की परीक्षा के द्वारा अर्हता-प्राप्त देखेगी, उनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश करेगी।

लेकिन यह भी शर्त है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आरक्षित रिलियों की संख्या न भरी गई तो सचिवालय प्रशिक्षण शाला द्वारा निर्धारित सामान्य मान के अनुसार उसे उस सेवा। पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित कर देने पर उस सेवा। पद में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित स्थानों पर नियुक्ति की जाने के लिए परीक्षा में उसके योग्यता क्रम के स्थान पर ध्यान दिए बिना ही उसकी सिफारिश कर दी जाएगी।

आगे यह भी शर्त है कि भूतपूर्व सैनिकों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आरक्षित रिलियों की संख्या न भरी गई तो उन अनुसूचित जाति/अनुसचित आदिम जाति के भूतपूर्व सैनिकों को जिन्हें सचिवालय प्रशिक्षा की शर्तों के अनुसार नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया तो उस सेवा/पद पर नियुक्ति की जाने के लिए परीक्षा में उसके योग्यता क्रम के स्थान पर ध्यान दिए बिना ही उसकी सिफारिश कर दी जाएगी। द्वारा आवेदन-पत्र भरते समय विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए बताई गई प्राथमिकताओं का (आवेदन पत्र के कालप 27 का) समुचित ध्यान रखा जायेगा।

18. हर एक उम्मीदवार को परीक्षा-फल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय सचिवालय प्रशिक्षण शाला अपने विवेकानुसार करेगी और सचिवालय प्रशिक्षण शाला परिणामों के संबंध में उनसे कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगी।

(19) आवश्यक जांच के बाद जब तक सरकार संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार उस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है तब तक परीक्षा में पास हो जाने मात्र से नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता।

20. इस परिणाम के आधार पर की जाने वाली सभी नियुक्तियों के साथ एक शर्त यह होगी कि यदि उम्मीदवार ने सचिवालय प्रशिक्षण शाला द्वारा आयोजित अंग्रेजी या हिन्दी की अधिक टंकण परीक्षाओं में से कोई पहले ही पास न की हुई हो तो वह नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के अन्दर 30 शब्द अथवा हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति पर परीक्षा पास करेगा, ऐसा न करने पर जब तक वह परीक्षा पास नहीं कर लेता तब तक उसे वार्षिक वेतन वृद्धि (वृद्धियां) नहीं दी जायेगी। यदि कोई उम्मीदावार परिवीक्षा की अवधि अन्दर उक्त परीक्षा पास नहीं कर लेता तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

टिप्पणी-1—परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्त उम्मीदवार को जिसने उपर्युक्त निर्धारित आधार पर टंकण परीक्षा पहले ही पास करली हो, अथवा इसे नियुक्ति की तारीख से 6 महीने के अन्दर पास कर लेता है तो उसे पहले वेतन वृद्धि एक वर्ष के बजाय छः पहीने के पश्चात् दी जाएगी, परन्तु इसे बाद में नियमित वेतन-वृद्धियों में समाविष्ट कर लिया जायेगा।

टिप्पणी 2—टिप्पणी 1 में उल्लिखित रियायतों के अतिरिक्त दो अग्रिम वेतन वृद्धियां ऐसे व्यक्तियों को दी जाएगी (जो अग्रिम वेतन वृद्धियों में समायोजित कर दी जायेंगी) जो अपनी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के अन्दर अंग्रेजी में प्रति मिन्ट 40 शब्द और हिन्दी में प्रिति मिन्ट 35 शब्द की गति से टंकण परीक्षा पास करेंगे।

21. उन सेवाओं /पदों से संबंधित सेवा की शर्तें, जिनके लिये इस परीक्षा द्वारा भर्त्ती की जा रही है, संक्षेप में परिशिष्ट II में दी गई है।

एम० के० वासुदेवन
अवर सचिव

परिशिष्ट

(1) परीक्षा के विषय, परीक्षा के लिए दिया गया समय और प्रत्येक विषय के पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

विषय	पूर्णांक	दिया गया समय
(1) सामान्य अंग्रेजी तथा लघु निबंध		
(क) लघु निबंध	100	3 घंटे
(ख) सामान्य अंग्रेजी	300 200	
(2) सामान्य ज्ञान (भारतीय भूगोल सहित)	100	2 घंटे

(2) परीक्षा का पाठ्य क्रम इस परिशिष्ट की अनुसूची में दिए अनुसार होगा ।

(3) उम्मीदवारों को छूट होगी कि वे प्रश्नपत्र (1) की मद (क) तथा प्रश्न पत्र (2) के उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी (देव नागरी लिपि में) किसी में करें ।

प्रश्न पत्र (1) की मद (ख) के उत्तर अंग्रेजी में सही लिखे जाने चाहियें ।

टिप्पणी 1. प्रश्न पत्र (2) में छूट पूरे प्रश्नपत्र के लिये होगी, इसी प्रश्न पत्र के अलग अलग प्रश्नों के लिए नहीं ।

टिप्पणी 2. पूर्वोक्त प्रश्नपत्रों का उत्तर हिन्दी (देवनागरी लिपि में) देने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपना इरादा आवेदन पत्र के कालम 8 में स्पष्टत: लिख देना चाहिये अन्यथा यह समझा जायगा, कि वे प्रश्नपत्रों का उत्तर अंग्रेजी में देंगे ।

टिप्पणी 3. एक बार प्रयोक्त किया गया विकल्प अन्तिम होगा और इसके परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं होगा ।

(4) उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे ।

किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(5) सचिवालय प्रशिक्षण शाला अपने विवेकानुसार परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों में अर्हक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित कर सकते हैं ।

(6) केवल सतही ज्ञान के लिये कोई अंक नहीं दिए जायेंगे।

(7) अस्पष्ट लिखावट के कारण, पूर्णांकों के 5 प्रतिशत तक काट लिए जाएंगे ।

(8) परीक्षा के सभी विषयों में आवश्यकतानुसार कम से कम शब्दों में, क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक ठीक की गई अभिव्यक्ति को श्रेय दिया जाएगा ।

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्य क्रम

सामान्य अंग्रेजी तथा लघु निबंध

(क) लघु निबंध उल्लिखित कई विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखना होगा ।

(ख) सामान्य अंग्रेजी निम्नलिखित में उम्मीदवारों की परीक्षा ली जायेगी ।

(1) मसौदा लेखन

(2) सार लेखन

(3) अनुप्रयुक्त व्याकरण तथा

(4) प्रारम्भिक सारणीकरण (आंकड़ों को संकलित करने तथा सारणी में उन्हें व्यवस्थित और प्रस्तुत करने की कला में उम्मीदवारों की सामर्थ्य जांचने के लिये ।

भारतीय भूगोल समेत सामान्य ज्ञान

सामयिक घटनाओं और प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने वाले ऐसे विषयों की जानकारी तथा उनके वैज्ञानिक पक्षों का अनुभव — जिनकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से जिसने कि किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो आशा की जा सकती है । इस पत्र में भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे ।

परिशिष्ट—II

उन सेवाओं/पदों से संबंधित संक्षिप्त विवरण जिनके लिए इस परीक्षा द्वारा भर्ती की जा रही है ।

का केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा

केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के निम्नलिखित दो ग्रेड हैं :

(1) उच्च श्रेणी ग्रेड : 130-5-160-8-200-द० रो०-8-256-द० रो०- 8-280 ।

(2) निम्न श्रेणी ग्रेड : 110-3-131-4-155-द० रो० 4-175-5-180 ।

2. निम्न श्रेणी ग्रेड में नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष तक परीवीक्षाधीन रहेंगे । इस अवधि के दौरान वे सरकार द्वारा यथानिर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और विभागीय परीक्षाएं देंगे । प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न दिखाने पर परीक्षा पास न कर सकने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति नौकरी से हटाया जा सकता है ।

3. परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर सरकार परिवीक्षाधीन लिपिक की पुष्टि कर सकती है या यदि उसका कार्य या आचरण सरकार की राय में असन्तोषजनक रहा हो, तो उसे सेवा से निकाला जा सकता है या सरकार उसकी परिवीक्षा की अवधि, जितनी बढ़ाना उचित समझे, बढ़ा सकती है ।

4. निम्न श्रेणी ग्रेड में भर्ती किये गये व्यक्तियों को केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा योजना में भाग लेने वाले मंत्रालयों या कार्यालयों में से किसी एक में नियुक्त कर दिया जायेगा उनकी किसी भी समय किसी भी ऐसी अन्य मंत्रालय या कार्यालय में बदली हो सकती है जो केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा योजना में भाग ले रहे हों ।

5. निम्न श्रेणी ग्रेड में भर्ती किये गये व्यक्ति इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार उच्च श्रेणी ग्रेड में पदोन्नत किये जाने के पात्र होंगे । स्थाई या नियमित रूप से नियुक्त किये गये अस्थाई निम्न श्रेणी लिपिक, जो सरकार द्वारा इस समबंध में यथानिर्दिष्ट निर्णायक तारीख को 5 वर्ष की अनुभोदित या निरंतर सेवा अवधि पूरी कर चुकेंगे, वे उच्च श्रेणी लिपिक की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे ।

6. अवर-श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्ति इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित निर्णायक तारीख को कम से कम तीन वर्ष अनुमोदित तथा निरन्तर सेवा करने के बाद ग्रेड 3 के आशु-लिपिकों की परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे । इस परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्णायक तारीख को 35 वर्ष होनी चाहिए ।

7. जिन लोगों की नियुक्ति केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के निम्न श्रेणी ग्रेड में उनकी अपनी इच्छा के अनुसार की जायेगी, वे उस नियुक्ति के पश्चात भारतीय विदेश सेवा (ख) के कांडर में अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा योजना में शामिल किसी पद पर स्थानान्तरण या नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे ।

ख—रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा

(क) जहां तक भर्ती प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि का संबंध है रेलवे मंत्रालय में नियुक्ति निम्न श्रेणी लिपिकों की सेवा की शर्तें रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा पुनर्गठन और संकलन योजना के द्वारा विनियमित होती हैं जो कि केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा योजनाओं के अनुरूप हैं ।

(ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा योजना के निम्न ग्रेड हैं :—

(i) ग्रेड-I (उच्च श्रेणी)- 130-5-160-8-200 द० रो० 8-256 द० रो० 8-280 ।

(ii) ग्रेड-II (निम्न श्रेणी) 110-3-131-4-155 द० रो० 4-175-5-180 ।

सीधी भर्ती केवल ग्रेड II में ही की जाती है । ग्रेड I के पद II केवल लिपिकों में से पदोन्नति करके 80 प्रतिशत तो वरिष्ठता के आधार पर (इस शर्त के साथ कि अयोग्य को अस्वीकृत किया जा सकता है) तथा 20 प्रतिशत सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पदोन्नति करके भरे जाते हैं । परन्तु जब तक रेलवे बोर्ड के कार्यालय में पहली सीमित प्रतियोगिता परीक्षा नहीं होती तब तक अस्थाई तौर पर 20 प्रतिशत रिक्त स्थान भी (इस शर्त के साथ कि अयोग्य की अस्वीकृति किया जा सकता है) वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति करके भरे जायेंगे ।

(ग) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा रेलवे मंत्रालय तक सीमित है और उनके कर्मचारियों की केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की तरह अन्य मंत्रालय में बदली नहीं हो सकती ।

(घ) इन नियमों के अधीन रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा में भर्ती हुए अधिकारी :—

(i) पैंशन संबंधी लाभों के पात्र होंगे और

(ii) उनकी नियुक्ति की तारीख को नियुक्त रेलवे कर्मचारियों पर लागू होने वाले उस निधि के नियमों के अनुसार अन-अंशदायी राज्य रेलवे भविष्य निधि के अभिदाता होंगे ।

(ङ) रेलवे मंत्रालय में नियुक्ति कर्मचारी अन्य रेलवे कर्मचारियों के लिये स्वीकार्य मानों के अनुसार ही पासों और सुविधा टिकट आदेशों के हकदार होंगे ।

(च) जहां तक छुट्टी तथा सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा में शामिल कर्मचारियों के साथ रेलवे के अन्य कर्मचारियों के समान ही व्यवहार किया किया जाता है किन्तु चिकित्सा संविधानों के बारे में उन पर नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियम ही लागू होंगे ।

ग—भारतीय विदेश सेवा (ख)—ग्रेड-6

2. वेतन मान 110-3-131-4-155 द० रो० 4-175-5-180 ।

भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड-6 में नियुक्त अधिकारी, विदेशों में नियुक्त किये जाने पर, उन भतों और मुफ्त रिहायश के पात्र होंगे, जो समय- समय पर भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों के लिये स्वीकार्य होते हैं ।

3. इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर भारतीय विदेश सेवा (ख) में नियुक्त उम्मीदवारों को, मुख्यालय में अथवा भारत या विदेश में कहीं भी जहां वे नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किये जाएं, सेवा करनी होगी ।

4. इस सेवा में नियुक्त, पुष्टिकरण तथा वरिष्ठता की शर्तें भारतीय विदेश सेवा (ख) (भर्ती, संवर्गवरिष्ठता तथा पदोन्नति) नियम 1964 तथा बाद में सरकार द्वारा बनाए गए किन्हीं अन्य नियमों के संगत उपबंधों या जरूरी किए आदेशों द्वारा शासित होंगे ।

घ—सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा

सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा में निम्नलिखित दो ग्रेड हैं :—

उच्च श्रेणी ग्रेड—130-5-160 द० रो० 8-200 द० रो० 8-256-8-280

निम्न श्रेणी ग्रेड—110-3-131-4-155 द० रो० 4-175-5-180

उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड में पद निम्न श्रेणी लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं । सीधी भर्ती केवल निम्न श्रेणी ग्रेड में ही की जाती है ।

2. निम्न श्रेणी ग्रेड में भर्ती किये गये व्यक्ति दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे । यह अवधि सक्षम अधिकारी के विवेक पर बढ़ाई या घटाई जा सकती है । इस अवधि में असंतोषजनक सेवा रिकार्ड का परिणाम परिवीक्षाधीन को सेवा से मुक्ति कर सकता है । परिवीक्षा की अवधि में उन्हें समय-समय पर यथा विहित प्रशिक्षण लेना पड़ सकता है तथा परीक्षा भी पास करनी पड़ सकती है ।

3. निम्न श्रेणी लिपिक समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार पुष्टीकरण तथा पदोन्नति के पात्र होंगे ।

4. सशस्त्र सेवा मुख्यालय में भर्ती किये गये निम्न श्रेणी लिपिक आम तौर पर दिल्ली/नई दिल्ली स्थित सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्त सेवा संगठनों के किसी कार्यालय में नियुक्त किये जायेंगे । किन्तु लोक हित में भारत में कहीं भी उनकी बदली की जा सकती है ।

5. छुट्टी, चिकित्सा-सहायता तथा सेवा की अन्य शर्तें वही हैं जो सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्तर्सेवा संगठनों में नियुक्त अन्य लिपिक वर्गीय कर्मचारियों पर लागू होती हैं ।

ङ ससंदीय मामलों का विभाग

इस विभाग में निम्न श्रेणी लिपिकों के पदों का वेतन मान 110-3-131-4-155 द० रो० 4-175-5-180 रुपये हैं ।

प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम चुनाव करके सेवा में नियुक्त उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन रखा जायेगा ।

विदेश व्यापार मंत्रालय

नई दिल्ली, अक्तूबर 1971

संकल्प

सं० 4/27/69 -टैकस (सी०) ---भारत सरकार ने विनिश्चय किया है कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I खण्ड 1 दिनांक 19 मई, 1969 में प्रकाशित भूतपूर्व व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय के संकल्प सं० 4/27/69-टैक्स (सी०) दिनांक 17 मई, 1961 में निम्नोक्त संशोधन किया जायेगा ।

क्रमांक 26 पर विद्यमान प्रविष्टि अर्थात्, "श्री जे० सी० रियान, द्वारा अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड बम्बई," के स्थान पर निम्नोक्त प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात :—

"26 श्री जे०सी० रियान, नं० 11, तृतीय ट्रस्ट लिंक स्ट्रीट मद्रास-28"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी संबद्धों को भेजी जाये ।

बी० डी० कुमार, संयुक्त सचिव

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

(पैट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 अक्तूबर 1971

सं० 30(2)/70-समन्वय ---भारत सरकार, तेल सलाहकार समिति, जो संकल्प संख्या 9(1)/58-आयल (प्लानिंग) दिनांक 14 जनवरी, 1960 के अन्तर्गत गठित की गई थी तथा जिसका समय समय पर संशोधन किया गया था, के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के सम्बन्ध में समिति के गठन का तत्काल संशोधन निम्न प्रकार करती है :—

1. पैट्रोलियम और रसायन मंत्री	अध्यक्ष
2. पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री	उपाध्यक्ष

ए० एस० मेहता, उप सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 अक्तूबर 1971

संकल्प

सं० एफ० 10-3/69-वि० क्षेत्र का०---इस मंत्रालय के संकल्प संख्या 6-1/66-वि० क्षेत्र का० दिनांक 18 जून, 1966 के अधिक्रमण में, भारत सरकार ने मरुस्थल विकास बोर्ड को निम्न प्रकार से पुनर्गठित करने का निर्णय किया है:—

1. प्रो० शेर सिंह कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	अध्यक्ष
2. सचिव, भारत सरकार कृषि विभाग	उपाध्यक्ष
3. श्री अमृत नहाटा, (संसद सदस्य, लोक सभा)	गैर-सरकारी सदस्य
4. श्री मोहम्द उस्मान, (संसद सदस्य, राज्य सभा)	"
5. श्री गोलाभाई पटेल, अध्यक्ष जिला पंचायत, बनसंकठा, पलनपुर	"
6. कैप्टन कंवल सिंह, ग्राम तथा पो० मंदोथी, तहसील झज्जर, जिला रोहतक (हरियाणा)	"
7. राजस्थान सरकार का एक एक प्रतिनिधि	सदस्य
8. हरियाणा सरकार का एक प्रतिनिधि	"
9. गुजरात सरकार का एक प्रतिनिधि	"
10. योजना आयोग का एक प्रतिनिधि	"
11. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), भारत सरकार का एक प्रतिनिधि	"
12. संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, प्रभारी, मरुस्थल विकास कार्यक्रम	"
13. उप-सचिव, कृषि विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली (मरुस्थल विकास के प्रभारी)	सदस्य-सचिव

2. बोर्ड का कार्य मरु क्षेत्रों के विकास के विषय में केन्द्रीय तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों को परामर्श देना और देश के मरु क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन का निरीक्षण तथा पुनरीक्षण करना होगा ।

3. निम्नलिखित संस्थाओं/प्रभागों के प्रतिनिधियों को मरुस्थल विकास बोर्ड की होने वाली सभी बैठकों में आमंत्रित किया जायेगा :—

(1) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ।

(2) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ।

(3) लघु सिंचाई प्रभाग, कृषि विभाग, नई दिल्ली ।

(4) मृदा संरक्षण प्रभाग, कृषि विभाग, नई दिल्ली ।

(5) वन विज्ञान, प्रभाग, कृषि विभाग, नई दिल्ली ।

(6) अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार बोर्ड की बैठकें द्वारा करेंगी ।

5. बोर्ड की बैठक के लिए बोर्ड के अध्यक्ष भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या राज्य सरकारों के किसी तकनीकी या अन्य अधिकारियों को आमंत्रित कर सकते हैं ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों विभागों, प्रधान मंत्री सचिवालय/लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के महा नियंत्रक तथा लेखा अधीक्षक, मरुस्थल विकास बोर्ड के समस्त सदस्य, कृषि मंत्रालय के समस्त संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों को भेजी जायें ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्तूबर 1971

सं० 29-2/69-सी०डी०एन०-1/ भा०कृ०अ०प०—भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के नियम 75 के उपबन्धों के अधीन, परिषद् के अध्यक्ष (कृषि मंत्री) ने निम्नलिखित को 4 अक्तूबर, 1971 से 7 जुलाई, 1972 तक की अवधि के लिए सोसाइटी की कृषि शिक्षा सम्बन्धी स्थायी समिति का सदस्य, सहर्ष मनोनीत किया है :—

1. प्रो० बी०एम० जौहरी,
   विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान
   दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ।

2. डा० अब्रार एम० खान,
   प्राध्यापक, पादप रोग विज्ञान,
   अलीगढ़ विश्वविद्यालय (उ०प्र०)

दिनांक 19 अक्तूबर 1971

सं० 30 (5)/71-सी०डी०एन०-1 (भा०कृ० अ०प०) —भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के नियम 34 (VII) के उपबन्धों के अधीन डा० आत्माराम के सेवानिवृत्त हो जाने पर उनके स्थान पर डा० एच० ए० वी० परपिया, निदेशक, केन्द्रीय खाद्य प्रोद्योगिक अनुसंधान संस्थान, मैसूर -2 को 31 अगस्त, 1971 से 3 अप्रैल, 1972 तक की अवधि के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शासी निकाय का सदस्य नियुक्त किया जाता है ।

पी० पी० त्रिवेदी, उप सचिव

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

श्रम और रोजगार विभाग (रो० प्र० महानिदेशालय)

नई दिल्ली, दिनांक 25 अक्तूबर 1971

सं० 12(6)/71-टी०सी०—भारत सरकार के राजपत्र भाग एक अनुभाग एक में दिनांक 21 अगस्त, 1956 को प्रकाशित और समय समय पर संशोधित श्रम मंत्रालय (रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय) के संकल्प संख्या टी० आर०/ई०पी०-24/56 दिनांक 21 अगस्त, 1956 के पैरा 5 के उप पैराग्राफ (च), (छ), (ज), और (ड) के अनुसरण में और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय) द्वारा जारी की गई और समय समय पर संशोधित अधिसूचना संख्या 101/68/टी०सी दिनांक 5 सितम्बर, 1968 को निष्प्रभावी करते हुए भारत सरकार संबंधित अधिकारियों से परामर्श करें, व्यावसायिक परीक्षण की राष्ट्रीय परिषद् में विभिन्न संगठनों, निकायों आदि में प्रतिनिधित्व के लिए, निम्नलिखित व्यक्तियों को नामजद करती है ।

कामगर के संगठनों के प्रतिनिधि

1. श्री एम० बी० जोशी
2. श्री पी० के० शर्मा
3. श्री एस०एल० पासी
4. श्री विमल महरोत्रा

नियोजक संगठनों के प्रतिनिधि

5. ले० कर्नल डब्ल्यू० सी० कोले
6. श्री बी०डी० तोशनीवाल
7. श्री जे० आर० जिन्दल
8. श्री के०ए० शिनाय
9. निदेशक, अ०श्र०सं० का
   क्षेत्रीय कार्यालय,
   नई दिल्ली ।

वृत्तिक एवं शिक्षा विद्वत्समाज के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ

10. श्री कमलेश रे
11. श्री आर० एन० जोशी
12. श्री बी० एस० कृष्णामाचार

अखिल भारतीय नारी संगठन की प्रतिनिधि

13. श्रीमती लक्ष्मी रघुरमय्या

ग० जगन्नाथ, उप सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th October 1971

No. 69-*Pres.*/71.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer :—

Name and rank of the officer

Shri Balwant Singh,
Sub-Inspector No. 2241/PAP,
XXXI (Himachal Pradesh Punjab),
SSB Battalion,
Directorate-General of Security,
Cabinet Secretariat. (*Deceased*)

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 26th June, 1970, when Shri Balwant Singh, Sub-Inspector of Police, was on duty at Village Killar in Pangi Valley, Himachal Pradesh, he heard a call for help some forest officials and villagers who were stranded across a flooded stream. Shri Balwant Singh immediately rushed to the place along with two villagers. On reaching the spot, he found that the stream was flooded and there was no bridge to cross it. He immediately took off his uniform, fetched some planks arranged them over the stream and helped the stranded persons one by one and brought them to a place of safety. But, in the end, when he himself started crossing the stream, he fell into the fast flowing water and was swept away. By rescuing the stranded forest officials and villagers at the cost of his own life Shri Balwant Singh exhibited high sense of duty and courage.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 26th June, 1970.

P. N. KRISHNA MANI
Joint Secretary to the President

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

RULES

New Delhi, the 6th November, 1971

No. 9/10/71-*CS*(*II*).—The rules for a competitive examination to be held by the Secretariat Training School, Department of Personnel in the Cabinet Sectt. in 1972 for the purpose of filling temporary vacancies in the following Services/posts are published for general information :—

(i) Indian Foreign Service (B)—Grade VI(i);

(ii) Railway Board Secretariat Clerical Service—Grade II;

(iii) Central Secretariat Clerical Service—Lower Division Grade;

(iv) Armed Forces Headquarters Clerical Service—Lower Division Grade;

(v) Posts of Lower Division Clerk in the Department of Parliamentary Affairs, New Delhi;

(vi) Posts of Lower Division Clerk in the office of the Special Inspector General, Indo-Tibetan Border Police, Delhi; and

(vii) Posts of Lower Division Clerk in other Departments and Attached Offices of the Government of India not mentioned above/Central Secretariat Clerical Service/Armed Forces Headquarters Clerical Service.

A candidate may apply for admission to the Examination in respect of any one or more of the Services/posts mentioned above. He may, if he so desires, also be considered for inclusion in the Reserve List for the Central Secretariat Clerical Service and Railway Board Secretariat Clerical Service (Grade II). He may specify in his application as many of these Services/posts as he may wish to be considered for.

N.B.—Candidates are required to specify clearly the order of preferences for the Services/posts for which they wish to be considered. No request for alteration in the order of preferences for the Services/posts originally indicated by a candidate in his application, would be considered unless such a request is received in the office of the Director, Secretariat Training, School on or before 15th December, 1972.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the School. Reservation will be made for candidates who are Ex-Servicemen and for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India.

Ex-Serviceman means a person who, has served in any rank (whether as a combatant or not) in the Armed Forces of the Union for a continuous period of six months and who has been released otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency.

Explanation.—For the purposes of these Rules, "Armed Forces of the Union" shall include the Armed Forces of the former Indian States but does not include members of the following Forces, namely :—

(a) Assam Rifles;

(b) Lok Sahayak Sena; and

(c) General Reserve Engineer Force.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Scheduled Castes/Tribes Lists (Modification) Order, 1956, read with the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1956, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar-Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968 and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

3. The examination will be conducted by the Secretariat Training School in the manner prescribed in **Appendix I to** the Rules.

The date on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the School.

4. A candidate must be either—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Sikkim, or

(c) a subject of Nepal, or

(d) a subject of Bhutan, or

(e) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(f) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon and East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (c), (d), (e) and (f) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Certificate of eligibility will not, however, be necessary in the case of candidates belonging to any one of the following categories :—

(i) Persons who migrated to India from Pakistan before the nineteenth day of July, 1948 and have ordinarily been residing in India since then.

(ii) Persons who migrated to India from Pakistan on or after the nineteenth day of July, 1948, and have got themselves registered as citizens of India under Article 6 of the Constitution of India.

(iii) Non-citizens in category (f) above who entered service under the Government of India before the commencement of the Constitution *viz.*, 26th January, 1950, and who have continued in such service since then. Any such person who re-entered or may re-enter such service with break after the 26th January, 1950, will, however, require certificate of eligibility in the usual way.

Provided further that candidates belonging to categories (c), (d) and (e) above will not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service (B)—Grade VI.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

5. No candidate who does not belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or is not a resident of the Union Territory of Pondicherry or is not a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu, or is not a migrant from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) shall be permitted to compete more than two times at the examination but this restriction is effective from the examination held in 1961.

NOTE 1.- If it found at any time before or after the publication of the results of the examination that the candidate had already appeared in the examination twice and was thus ineligible to sit in the examination, his result will be withheld or cancelled, as the case may be, and further action taken as per rule 15.

NOTE 2.—For the purpose of this rule, a candidate shall be deemed to have competed at the examination once, for all the Services/posts covered by the examination, if he competes for any one or more of Services/posts.

NOTE 3.—A candidate shall be deemed to have competed at the examination if he actually appears in any one or more subjects.

6. (a) A candidate for this examination must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 21 years on 1st January 1972, *i.e.*, he must have been born not earlier than 2nd January 1951 and not later than 1st January, 1954.

(b) The upper age limit will be relaxable in the case of ex-Servicemen, who have put in not less than six months continuous service in the Armed Forces of the Union, to the extent of their total service in the Armed Forces increased by three years.

Provided that candidates admitted to the examination under this age concession will be eligible to compete for the vacancies reserved for ex-Servicemen only.

NOTE.- The period of "call up service" of an Ex-Serviceman in the Armed Forces shall also be treated as service rendered in the Armed Forces for purpose of rule 6(b) above.

(c) The upper age limit prescribed above will be further relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964;

(iv) up to a maximum of five years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry and has received education through the medium of French at some stage;

(v) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of India origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu;

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);

(ix) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(xi) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof; and

(xii) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

(d) The upper age limit will be relaxable up to the age of 35 years in respect of persons who have been regularly appointed as Clerks in the various Departments/Offices of the Government of India and in the Office of the Election Commission, and have rendered not less than 3 years' continuous service as Clerks on 1-1-1972, and who continue to be so employed.

Provided that the above age relaxation will not be admissible to persons appointed as Clerks in the Ministries/Departments and Attached Offices participating in (i) Central Secretariat Clerical Service, (ii) Indian Foreign Service (B), (iii) Railway Board Secretariat Clerical Service, and (iv) Armed Forces Headquarters Clerical Service, and to persons who are ex-Servicemen competing at the examination for vacancies reserved for ex-Servicemen.

(e) The upper age limit will be relaxable up to the age of 35 years in respect of persons who have been employed as Hindi Clerks/Hindi Typist in the various Ministries/Departments and Attached Offices participating in the Central Secretariat Clerical Service, and have rendered not less than 3 years continuous Service as Hindi Clerks/Hindi Typists on 1-1-1972, and who continue to be so employed.

Provided that Hindi Clerk/Hindi Typist admitted to the examination under this age concession shall be eligible to compete for vacancies in the Central Secretariat Clerical Service only.

(f) The upper age limit will be relaxable upto 45 years in respect of Service Clerks in the last year of their colour service in the Armed Forces.

Provided that candidates admitted to the examination under this age concession will be eligible to compete only for vacancies in Armed Forces Headquarters and Inter-Services Organisations, which are not reserved for ex-Servicemen.

NOTE 1.—Service rendered by R.M.S. Sorters employed in subordinate offices of P & T, Department shall be treated as service rendered in the grade of Clerk for purpose of Rule 6(d) above.

NOTE 2.—The candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession mentioned in Rule 6(d) and Rule 6(e) above is liable to be cancelled, if, after submitting his application, he resigns from Service or his services are terminated by his Department, either before or after taking the examination. He will, however, continue to be eligible if he is retrenched from the Service or post after submitting his application.

NOTE 3.—A clerk who is on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

SAVE AS PROVIDED ABOVE, THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

7. Candidates must have passed one of the following examinations or possess one of the following certificates :—

(i) Matriculation Examination of any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India;

(ii) An examination held by a State Education Board at the end of the Secondary School Course for the award of a School Leaving, Secondary School, High School or any other Certificate, which is accepted by the Government of that State as equivalent to Matriculation Certificate for entry into services;

(iii) Cambridge School Certificate Examination (Senior Cambridge);

(iv) European High School Examination held by the State Government;

(v) Tenth Class Certificate from the Technical Higher Secondary School of the Delhi Polytechnic;

(vi) Pass in the examination held by a recognised Higher Secondary School/Multipurpose School in India, at the end of the *penultimate* year of a Higher Secondary Course/Multipurpose Course (which enables a candidate to get admission to the 3 year degree course);

(vii) Tenth Class Certificate from a recognised School preparing students for the Indian School Certificate Examination;

(viii) Tenth Class Certificate of the Higher Secondary Course of Sri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry;

(ix) Junior examination of the Jamia Millia Islamia, Delhi in the case of *bona fide* resident students of the Jamia only;

(x) Bengal (Science) School Certificate;

(xi) Final School Standard Examination of the National Council of Education, Jadavpur, West Bengal (Since inception);

(xii) 'Vinit' examination of the Gujarat Vidyapith, Ahmedabad;

(xiii) The following French Examinations of Pondicherry: (i) 'Brevet Elementaire', (ii) 'Brevet d' Enseignement Primarie de Langue Indienne', (iii) 'Brevet D' etudesa du Premier Cycle', (iv) 'Brevet D' Enseignement Primaire Superieur de Langue Indinne' and (v) 'Brevet de Langue Indienne (Vernacular);

(xiv) Pass in the 5th year of 'Lyceum', a Portuguese qualification in Goa, Daman and Diu;

(xv) Indian Army Special Certificate of Education;

(xvi) Higher Educational Test of the Indian Navy;

(xvii) Advanced Class (Indian Navy) Examination;

(xviii) Ceylon Senior School Certificate Examination;

(xix) Certificate granted by the East Bengal Secondary Education Board, Dacca;

(xx) Secondary School Certificate granted by the Board of Secondary Education at Comilla/Rajshahi/Khulna/Jessors in East Pakistan;

(xxi) School Leaving Certificate Examination of the Government of Nepal;

(xxii) Anglo-Vernacular School Leaving Certificate (Burma);

(xxiii) Burma High School Final Examination Certificate;

(xxiv) Anglo-Vernacular High School Examination of the Education Department, Burma (Pre-War);

(xxv) Post-War School Leaving Certificate of Burma;

(xxvi) General Certificate of Education Examination of Ceylon at 'Ordinary' level provided it is passed in six subjects including English and Mathematics and either Sinhalese or Tamil;

(xxvii) General Certificate of Education Examination of the Associated Examination Boards, London at 'Ordinary' Level provided it is passed in five subjects including English;

(xxviii) Junior/Secondary Technical School examination conducted by any of the State Boards of Technical Education; and

(xxix) Purva Madhyama (with English) *or* old Khand Madhyama (first two years course) and special examination in additional subjects with English as one of the subjects of the Varanseya Sanskrit Vishwa Vidyalaya, Varanasi.

(xxx) Carta de Course de Formacao de Serralheire (Certificate in Smithy Course) and Carta de Curso de Montador Electricista (Certificate in Electrician Course) awarded by the Escola Industrial Commercial de Goa, Panaji, under the Portuguese set up prior to Liberation of Goa, Daman and Diu.

NOTE I.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination but has not been informed of the result may apply for admission to this examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply, provided the qualifying examination is completed before the commencement of this examination. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination, as soon as possible, and in any case not later than two months after the commencement of this examination.

NOTE II.—In exceptional cases, the Central Government may treat a candidate, who has not any of the qualifications prescribed in this rule, as educationally qualified provided that he possesses qualifications, the standard of which, in the opinion of that Government justified his admission to the examination.

8. (i) No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to service

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

(ii) A person married to a foreign national shall not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service (B)—Grade VI.

(iii) A person with more than three children will not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service (B)—Grade VI.

9. A candidate already in Government Service, whether in a permanent or temporary capacity, must obtain prior permission of the Head of the Department to appear for the Examination.

10. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate, who after such medical examination as may be prescribed by the competent authority is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

NOTE.—In the case of the disabled ex-Defence Services personnel, a certificate of fitness granted by the Demobilisation Medical Board of the Defence Services will be considered adequate for the purpose of appointment.

11. The decision of the School as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

12. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the School.

13. Candidates must pay the fee prescribed in para. 7 of School's Notice.

14. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

15. A candidate who is or has been declared by the School guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall, may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution,

(a) be debarred permanently or for a specified period :—

(i) by the School from admission to any examination or appearance at any interview held by the School for selection of candidates and

(ii) by the Central Government from employment under them;

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules, if he is already in service under Government.

16. After the examination, the candidates will be arranged by the School in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the School to be qualified by the examination shall be recommended for appointment upto the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

Provided that the candidates belonging to any of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Secretariat Training School by a relaxed standard to make up the deficie in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for selection to the Service, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

Provided further that ex-servicemen belonging to any of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard be recommended by the Secretariat Training School by a relaxed standard to make up the deficiency in the quota reserved for them out of the quota of vacancies reserved for ex-servicemen, subject to the fitness of these candidates for selection to the Service, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

17. Due consideration will be given, at the time of making appointments on the results of the examination, to the preferences expressed by a candidate for various Services/posts, at the time of his application (*cf.* Col. 27 of the application form).

18. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the School in its discretion, and the School will not enter into correspondence with them regarding the result.

19. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service/post.

20. All appointments on the results of this examination shall be subject to the condition that unless a candidate has already passed one of the periodical typewriting tests in English or Hindi held by the Secretariat Training School, he shall pass such a test at a minimum speed of 30 words in English or 25 words in Hindi per minute, to be held by the Secretariat Training School within a period of one year from the date of appointment failing which no annual increment(s) shall be allowed to him until he has passed the said test.

If any candidate does not pass the said typewriting test within the period of probation, his services shall be liable to be terminated.

Note 1.—A candidate appointed on the results of the examination, who has already passed the typewriting test as prescribed above, or who passes it within a period of six months from the date of his appointment, will be granted, the first increment after six months instead of after one year's service. This will however, be absorbed in the subsequent regular increments.

Note 2.—In addition to the concession referred to in Note 1, two advance increments absorbable in future increases will be granted to those who pass the typewriting test at 40 w.p.m. in English or 35 words p.m. in Hindi within a period of one year from the date of their appointment.

21. Conditions of service relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this examination are briefly stated in Appendix II.

M. K. VASUDEVAN, Under Secy.

APPENDIX I

1. The subjects of the examination, the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows :—

(i) General English & Short Essay				
(a) Short Essay	....	100	300	3 hours
(b) General English	....	200		
(ii) General Knowledgh including Geography of India	....	100	100	2 hours

2. The syllabus for the examination will be as shown in the Schedule to this Appendix.

3. Candidates are allowed the option to answer item (a) of paper (i), or paper (ii) or both either in Hindi (in Devnagri script) or in English. Item (b) of paper (i) must be answered in English by all candidates.

NOTE 1.—The option for paper II will be for the complete paper and not for different questions in it.

NOTE 2.—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers in Hindi (in Devnagri script) should indicate their intention to do so clearly in Col. 11 of the application form. Otherwise it would be presumed that they would answer the papers in English.

NOTE 3.—The option once exercised will be final and no request for change of option will be entertained.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write down answers for them.

5. The School has discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

6. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

7. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks will be made for illegible handwriting.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

SYLLABUS OF THE EXAMINATION

General English and Short Essay

(a) Short Essay.—An essay to be written on one of the several specified subjects.

(b) General English.—Candidates will be tested in the following :—

(1) Drafting;

(2) Precis writing;

(3) Applied Grammer and

(4) Elementary tabulation (To test candidates' ability in the art of compiling, arranging and presenting data in a tabular form).

General Knowledge including Geography of India

Knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will include questions on Geography of India.

APPENDIX II

Brief particulars relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this Examination.

A. *Central Secretariat Clerical Service*

The Central Secretariat Clerical Service has two grades as follows :—

(i) Upper Division Grade :—Rs. 130—5—160—8—200—EB—8—256—EB—8—280.

(ii) Lower Division Grade :—Rs. 110—3—131—4—155—EB—4—175—5—180.

2. Persons recruited to the Lower Division Grade will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

3. On the conclusion of the period of probation, Government may confirm the clerk on probation or, if his work or conduct has, in the opinion of Government, been unsatisfactory, he may either be discharged from service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

4. Persons recruited to the Lower Division Grade will be posted to one of the Ministries/Offices participating in the Central Secretariat Clerical Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other Ministry or Office, participating in the Central Secretariat Clerical Service.

5. Persons recruited to the Lower Division Grade will be eligible for promotion to the Upper Divsion Grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf. Permanent or regularly appointed temporary Lower Division Clerks who have completed 5 years of approved and continuous service in the Lower Division Grade on the crucial date as specified by the Government in this behalf will be eligible to appear in the Upper Division Grade Limited Departmental Competitive Examination.

6. Persons recruited to the Lower Division Grade will be eligible to take the Grade III Stenographers' Examination after rendering not less than three years' approved and continuous service on the crucial date as specified by the Govt. in this behalf. The upper age limit for this examination is 35 years on the crucial date.

7. Persons recruited to the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service in pursuance of their option for that Service will not, after such appointment, have any claim for transfer or appointment to the Indian Foreign Service (B) or the Railway Board Secretariat Clerical Service.

B. *Railway Board Secretariat Clerical Service*

(a) The service conditions of Lower Division Clerks employed in the Ministry of Railways, so far as recruitment, training, promotion etc. are concerned, are regulated by the Railway Board Secretariat Clerical Service Reorganisation, and Reinforcement Scheme which is on the lines of Central Secretariat Clerical Service Scheme.

(b) The Railway Board Secretariat Clerical Service consists of the following two grades :—

(i) Grade I (Upper Division) Rs. 130—5—160—8—200—EB—8—256—EB—8—280.

(ii) Grade II (Lower Division) Rs. 110—3—131—4—155—EB—4—175—5—180.

Direct recruitment is made in Grade II only. The posts in Grade I are required to be filled by promotion from amongst Grade II Clerks—80% by promotion on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit and 20% on the basis of limited competitive examination. However, till such time as the first limited competitive examination is not held in the Railway Board's office, the 20% vacancies will also be filled by promotion on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit as a temporary measure.

(c) The Railway Board Secretariat Clerical Service is confined to the Ministry of Railways and the staff are not liable to transfer to other Ministries as in the Central Secretariat Clerical Service.

(d) Officers of the Railway Board Secretariat Clerical Service recruited under these rules—

(i) will be eligible for pensionary benefits and

(ii) shall subscribe to the non-contributory State Railway Provident Fund under the rules of that fund as are applicable to Railway servants appointed on the date they join service.

(e) The staff employed in the Ministry of Railways are entitled to the privilege of passes and privilege ticket orders on the same scale as are admissible to other Railway staff.

(f) As regards leave and other conditions of service, staff included in the Railway Board's Secretariat Clerical Service are treated in the same way as other Railway staff but in the matter of medical facilities they will be governed by the rules applicable to other Central Government employees with headquarters at New Delhi.

C. *Indian Foreign Service (B)*—Grade VI

The scale of pay :—Rs. 110—3—131—4—155—EB—4—175—5—180.

2. Officers appointed to Grade VI of the Indian Foreign Service (B), when posted abroad, will be eligible for such allowances and free furnished accommodation as are admissible to that grade of I.F.S. (B) officers from time to time.

3. Candidates appointed to the Indian Foreign Service (B) on the results of this examination will be liable to serve in any post either at Headquarters, anywhere in India, or abroad to which they may be posted by the Controlling Authority.

4. The conditions for appointment, confirmation and seniority in the Service will be governed by the relevant provisions of the I.F.S. (B) (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964 and also by any other rules or orders which Government may hereafter make.

D. *Armed Forces Headquarters Clerical Service*

The Armed Forces Headquarters Clerical Service has two grades as follows :—

Upper Division Grade—Rs. 130—5—160—8—200—EB—8—256—EB—8—280.

Lower Division Grade—Rs. 110—3—131—4—155—EB—4—175—5—180.

The posts in Upper Division Grade are filled by promotion from among Lower Division Clerks. Direct recruitment is made in Lower Division Grade only.

2. Persons recruited to the Lower Division Grade will be on probation for two years, which period may be extended or curtailed at the discretion of the competent authority. Unsatisfactory record of service during this period may result in discharge of the probationer from service. During the period of probation, they may be required to undergo such training and pass such tests as may be prescribed from time

3. Lower Division Clerks will be eligible for confirmation and promotion in accordance with the rules in force from time to time.

4. Lower Division Clerks recruited to the AFHQ Clerical Service will be generally posted to any office of the Armed Forces Headquarters and Inter-Service Organisations located in Delhi/New Delhi. They will also be liable to be posted anywhere within India in the public interest.

5. Leave, medical aid and other conditions of service will be the same as applicable to other Ministerial staff employed in the AFHQ and Inter-Service Organisations.

E. *Department of Parliamentary Affairs*

The scale of pay for the post of Lower Division Clerk in the Department is Rs. 110—3—131—4—155—EB—4—175—5—180.

Candidates appointed to the Service by selection through the competitive examination shall be on probation for a period of two years.

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

New Delhi, the 20th October 1971

CORRIGENDUM

No. 5/18/71-CS(I).—In the Department of Personnel Notification No. 5/18/71-CS(I), dated the 10th July 1971 published in Part I Section 1 of the Gazette of India dated the 10th July, 1971, the following corrections may be made:—

Reference and Correction

Rules

Page 613, Col. 2, Para 4(1), Line 2—*Add* the word 'less' between the words 'not' and 'then'.

Page 613, Col. 2, Note below Para 4(1), line 2—*For* the word "Assistant'" *read* the word "Assistants'".

Page 615, Col. 1, Para 13, line 7—*Add* the word not between the words 'will' and 'be eligible'.

M. K. VASUDEVAN, Under Secy.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

RESOLUTION

New Delhi, the 20th October 1971

No. 4/27/69-Tex(C).—The Government of India have decided that the following amendment shall be made in the late Ministry of Foreign Trade and Supply Resolution No. 4/27/69-Tex(C), dated the 17th May, 1961, published in Part I, Section I, of the Gazette of India Extraordinary, dated the 19th May, 1969.

For the existing entry at S. No. 26, *viz.*, "Shri J. C. Ryan, C/O All India Handloom Board, Bombay", the following entry shall be substituted, namely :—

"26. Shri J. C. Ryan, No. 11, Third Trust Link Street, Madras-28".

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

ORDERED also that a copy of the Resolution be sent to all concerned.

B. D. KUMAR, Jt. Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 21st October 1971

No. 30(2)/70-Coord.—The Government of India are pleased to revise with immediate effect from the composition of the Oil Advisory Committee in regard to the offices of Chairman and Deputy Chairman, constituted by Resolution No. 9(1)/58-Oil(Pl), dated 14-1-1960 and amended from time to time, as follows :—

1. Minister of Petroleum & Chemicals—*Chairman.*
2. Deputy Minister in the Ministry of Petroleum & Chemicals—*Deputy Chairman.*

A. S. MEHTA, Dy. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

RESOLUTION

New Delhi-1, the 13th October 1971

No. F. 10-3/69-CAD.—In supersession of this Ministry Resolution No. F. 6-1/66-SAP, dated the 18th June, 1966, the Government of India have decided to reconstitute the Desert Development Board as follows :—

Chairman

1. Prof. Sher Singh,
   Minister of State in the Ministry of Agriculture.

Vice-Chairman

2. Secretary to the Government of India,
   Department of Agriculture.

Non-official Member

3. Shri Amrit Nahata (M.P., Lok Sabha).
4. Shri Mohd. Usman (M.P. Rajya Sabha).
5. Shri Golabhai Patel, President,
   District Panchayat, Banaskantha, Palanpur.
6. Captain Kanwal Singh, Vill. & P.O. Mandothi,
   Tehsil Jhajjar, Distt. Rohtak, (Haryana).

Members

7. One Representative of the State Government of Rajasthan.
8. One Representative of the State Government of Haryana.
9. One Representative of the State Government of Gujarat.
10. One Representative of the Planning Commission.
11. One Representative of the Ministry of Finance, (Department of Expenditure) Govt. of India.
12. Joint Secretary, Department of Agriculture, in-charge of Desert Development Programme.

Member-Secretary

13. Deputy Secretary, Department of Agriculture, Government of India, New Delhi. (In-charge of Desert Development).

2. The functions of the Board will be to advise the Central and the State Governments concerned on the development of desert areas and to watch and review the implementation of various schemes in the desert areas of the country.

3. Representatives of the following organisations/Divisions will be invited to all the meetings of the Desert Development Board as and when held :—

(i) Indian Council of Agricultural Research.
(ii) Central Groundwater Board.
(iii) Minor Irrigation Division, Department of Agriculture.
(iv) Soil Conservation Division, Department of Agriculture.
(v) Forestry Division, Department of Agriculture, New Delhi.

4. The Board will meet as often as may be decided by the Chairman.

5. The Chairman of the Board may invite to its meeting any technical or other officers from the various Ministries of the Government of India or from State Governments.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries/Departments of the Government of India, Prime Minister's Sectt., Lok Sabha Sectt., Rajya Sabha Sect., Comptroller and Auditor General of India, All Members of the Desert Development Board, All Attached and Subordinate Offices under the Ministry of Agriculture.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

T. P. SINGH, Secy.

(I.C.A.R)

New Delhi, the 14th October 1971

No. 29-2/69-CDN(I)/ICAR.—Under the provisions of Rule 75 of the Rules of the Indian Council Agricultural Research, the President of the Council (Minister for Agriculture) has been pleased to appoint the following to be members of the Standing Committee for Agricultural Education of the Society for the period 4-10-1971 to 7-7-1972.

1. Prof. B. M. Johri,
   Head of the Deptt. of Botany,
   University of Delhi,
   Delhi.

2. Dr. Abrar M. Khan,
Professor of Plant Pathology,
Aligarh University,
Aligarh (U.P.)

The 19th October 1971

No. 30(5)/71-*Cdn-I(ICAR)*.—Under Rule 34 (vii) of the Rules of Indian Council of Agricultural Research, Dr. H. A. B. Parpia, Director, Central Food Technological Research Institute, Mysore-2 is appointed as a member of the Governing Body of Indian Council of Agricultural Research for the period from 31-8-1971 to 3-4-1972 *vice* Dr. Atma Ram who has since retired.

P. P. TRIVEDI, Dy. Secy.

MINISTRY OF LABOUR, REHABILITATION

Department of Labour & Employment

(D G E & T)

New Delhi, the 14th October 1971

No. 12(6)/71-*TC*.—In pursuance of sub-paragraphs (f) (g), (h) and (m) of paragraph 5 of the Government of India, Ministry of Labour (Directorate General of Employment and Training), Resolution No. TR/EP-24/56, dated the 21st August, 1956, published in Gazette of India Part-I, Section 1, dated the 21st August, 1956 as amended from time to time and in supersession of Notification No. 101/68/TC, dated the 5th September, 1968 of the Government of India, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Directorate General of Employment and Training) the following persons have been nominated by the Central Government in consultation with the authorities concerned, to represent the various organisations bodies, etc. on the National Council for Training in Vocational Trades :—

Representatives of the Workers Organisations

1. Shri M. B. Joshi.
2. Shri P. K. Sharma.
3. Shri S. L. Passey.
4. Shri Vimal Mehrotra.

Representatives of Employers' Organisations

5. Lt. Col. W. C. Cale.
6. Shri B. D. Toshniwal.
7. Shri J. R. Jindal.
8. Shri K. A. Shenoy.

Representatives of Professional and Learned bodies and experts

9. Director, I.L.O.
Area Office,
New Delhi.
10. Shri Kamlesh Ray.
11. Shri R. N. Joshi.
12. Shri B. S. Krishnamachar.

Representative of All India Women's Organisation

13. Shrimati Lakshmi Raghu Ramaiah.

G. JAGANNATHAN, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971